

कार्यालय ग्राम पंचायत कुस्तला

पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला : सवाई माधोपुर (राज.)

क्रमांक:-

512

दिनांक

15/5/15

डानापति प्रमाण-पत्र

माला मार्टिन पाल्ले सँस्था आलनपुर (राज.)
हाप संचालित कर ०. 3733/5408 में
स्थित निर्मित भवन/स्कूल/माले एवं
अन्य दक्षिण गलिकी के संचालन के
उक्त पंचायत को किसी प्रकार भी कोई
आपत्ती नहीं होगी

ओमेश कुमार

सरपंच

ग्राम पंचायत कुस्तला
पंच. चौथ का बरवाड़ा (राज.)

प्राचार्य

प्राचार्य
आचार्य नगेश शिवद शिक्षा महविद्यालय
सवाई माधोपुर

प्राचार्य

19 (17)

कार्यालय ग्राम पंचायत, कुहल्ला

पंचायत समिति व जिला : सवाई माधोपुर (राज.)

नाम - दीप्ति भगवती सिंह सरपंच ग्राम पंचायत, कुहल्ला एवं जिला अध्यक्ष सरपंच संघ सवाई माधोपुर	Mob. 9929205154 प्रेक्षित - श्रीमान् _____ _____ _____
---	--

दिनांक 25/01/2011

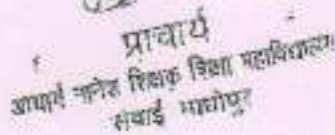
दिनांक.....

प्रनापति - प्रमाण पत्र

माला गार्डन पब्लिक स्कूल, आलनपुर, सवाई माधोपुर राजस्थान
 जरिए कार्यना - पत्र सन्निव दिनांक 13.01.2011 ग्राम पंचायत
 कुहल्ला स्थित खसरा संख्या 3733/5408 करीब 1200 वर्ग
 बीट भूमि पर अटाविद्यालय / विद्यालय खोलने हेतु अप
 नमशा पेरा किया जिस पर अटाविद्यालय / विद्यालय हेतु
 आज दिनांक 25/01/2011 को प्रनापति-प्रमाण पत्र
 भेरे दस्तावेजों से जारी किया जाता है। नमशा संलग्न है।


 सरपंच

ग्राम पंचायत कुहल्ला
 पं.स. सवाई माधोपुर


 प्राचार्य
 आचार्य नानेश शिखर शिक्षा महाविद्यालय
 सवाई माधोपुर

प्राचार्य
 आचार्य नानेश शिखर शिक्षा महाविद्यालय
 सवाई माधोपुर

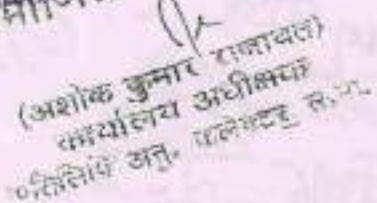




प्राचार्य
 आचार्य नानेश शिखर शिक्षा महाविद्यालय
 सवाई माधोपुर



प्राचार्य
 आचार्य नानेश शिखर शिक्षा महाविद्यालय
 सवाई माधोपुर

$$\frac{395}{213116}$$




11.	The above conversion order shall be subject to the following conditions.	
i.	The land converted for the above non agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.	
ii.	If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.	
iii.	No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose	
iv.	No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority	

क्रमांक 721-25-22000-3
 नोट - डिपेंडेंस फंड के अन्तर्गत इसी रकम को।

उप जिला कलेक्टर
 Prescribed Authority
 डिपेंडेंस फंड
 Distt. Collector/
 SDM/Tehsildar)

Seal of the
 Prescribed Authority

No.

Date :

copy to

1. The District Collector राजमिथिया
2. Gram Panchayat कुशवाहा
3. The applicant Shri विश्वनाथ झा

(विश्वनाथ झा) डिपेंडेंस फंड
 नोट - कोर्ट के निर्देशानुसार
 उक्त रकम जमा की जायेगी

राजमिथिया - राजमिथिया

प्रमाणित किया गया है
 98
 (अशोक कुमार राय)
 कार्यालय उप जिला कलेक्टर
 पतिलिपि 25/11/2015

1. जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा 1159
2. जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा 1159
3. वि. प्रमाणित किया गया है 1159
4. प्रमाणित किया गया है 1159
5. जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा 1159
6. जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा 1159
7. जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा 1159
8. जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा 1159
9. जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा 1159
10. जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा 1159

उप जिला कलेक्टर
 सवाई माधोपुर
 प्रमाणित किया गया है
 अथवा नगर निगम सवाई माधोपुर

